



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125431

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1773 वर्ष 2026

मनोज कुमार

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक मयंक, शशिकला मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री अभिषेक मयंक और राज्य के ए.जी.ए.की बात सुनी गई और रिकॉर्ड देखा गया।

3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत दायर की गई है। अपीलकर्ता मुरादाबाद के विशेष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 189/2026 में 02.12.2025 को पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसके तहत उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। यह मामला थाना पाकबाड़ा, जिला मुरादाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 103(1), 61(2) बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)वी से संबंधित है।

4. संक्षेप में मामला यह है कि शिकायतकर्ता, जो मृतक योगेश का भाई है, ने यह एफ.आई.आर दर्ज कराई है। आरोपों के अनुसार, 17.09.2025 को शाम लगभग 6:30 बजे, सह-आरोपी गौरव, कपिल और शोभाराम, जो उसी गाँव के रहने वाले हैं, मृतक योगेश को अपने साथ ले गए। आरोप है कि जब योगेश रात में घर नहीं लौटा, तो शिकायतकर्ता ने उन लोगों से उसके ठिकाने के बारे में पूछा। हालाँकि, तीनों आरोपियों ने उसके बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया और उसके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे यह भी आरोप है कि अगली सुबह शिकायतकर्ता को पता चला कि उसके भाई योगेश का शव मौड़ा ताड़िया के पास पड़ा हुआ था। नतीजतन, आरोपियों के खिलाफ यह एफ.आई.आर दर्ज की गई।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और उस पर कोई खास या ठोस मकसद भी नहीं लगाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। अधिवक्ता आगे कहते हैं कि हालाँकि शिकायतकर्ता ने सीआर.पी.सी.की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और एफ.आई.आर में बताई गई बात को दोहराया, लेकिन अपने बाद के/अतिरिक्त बयान में उसने अपीलकर्ता पर कोई आरोप नहीं लगाया।

आगे यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता का नाम पहली बार 21.09.2025 को एक खास अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचनाकर्ता (गुप्त सूचना देने वाले) से मिली कथित जानकारी के आधार पर सामने आया, और उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 21.09.2025 से जेल में बंद है। अधिवक्ता न्यायालय को भरोसा दिलाते हैं कि, अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अपीलकर्ता जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा, और जब भी न्यायालय को ज़रूरत होगी, तब उपलब्ध रहेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए.ने अपीलकर्ता की जमानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता ने यह अपराध यह जानते हुए किया कि पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। आरोपी ने खुद अपने बयान में माना है कि उसने कथित अपराध किया है। विवादित आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं है।

7. पूछे जाने पर, विद्वान एजीए ने निष्पक्ष रूप से कहा कि अपीलकर्ता के अपराध स्वीकार करने वाले बयान के अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे अपीलकर्ता की संलिप्तता का पता चले; यहाँ तक कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।

8. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और विवादित आदेश सहित पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की मिलीभगत, मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए आधार बना लिया है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अर्ज़ी खारिज करने में गलती की थी। विवादित आदेश में खामियां और कानूनी कमियां हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

10. नतीजतन, अपील सफल होती है और उसे मंजूर किया जाता है। मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 189/2026 में 02.12.2025 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

11. अपीलकर्ता **मनोज कुमार** को ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या के मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो भरोसेमंद ज़मानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमा करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(ii) अपीलकर्ता विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

(iii) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय के सामने एक अंडरटेकिंग (वचन-पत्र) देना होगा कि जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, तो सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर वह कोई गैर-ज़रूरी स्थगन नहीं मांगेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो विचारण न्यायालय इसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार परिणाम भुगतने होंगे और संबंधित न्यायालय अपीलकर्ता को दी गई जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।